उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) अधिनियम, 1988

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, सन् 1992)

UTTAR PRADESH REGULATION OF BUILDINGS AND USE OF LAND (NUCLEAR INSTALTIONS AREA) ACT, 1988

(U.P. Act No. 19 of 1992)

उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) अधिनियम, 1988

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1992]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित तथा "भारतीय का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 31 जुलाई, 1992 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश गजट में दिनांक 20 अगस्त, 1992 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में किसी नाभिकीय प्रतिष्ठापन के आस–पास भवनों के निर्माण और भूमि के उपयोग का नियंत्रण करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) अधिनियम, 1988 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषायें

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,––

(1) "भवन" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :––

(क) गृह, बहिगृह, अस्पताल, पशुशाला, पशुघर, शौचालय, गोदाम, सायवान, झोपड़ी, दीवाल, छतदार आहाता और कोई ऐसी अन्य संरचना, चाहे वह पूर्णतः या अंशतः पक्की चिनाई, ईट, गारा, लकड़ी, धातु या किसी अन्य पदार्थ से बनी हो,

(ख) पहियों पर या बिना आधार के भूमि पर, स्थित संरचना, और

(ग) मानव निवास के लिए प्रयुक्त या कोई वस्तु या माल रखने या संग्रह करने के लिए प्रयुक्त कोई तम्बु, बन्दगाड़ी और कोई अन्य संरचना,

(2) किसी व्यक्ति को ––

(एक) भवन का परिनिर्माण करता हुआ समझा जाएगा यदि वह किसी भवन का निर्माण प्रथम बार करता है या किसी वर्तमान भवन को गिराने के पश्चात् उसका पुनः निर्माण करता है ;

(दो) किसी भवन का पुनः परिनिर्माण करता हुआ समझा जायगा, यदि वह––

(क) किसी भवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या परिवर्द्धन करता है ; या

(ख) किसी ऐसे भवन को निवास स्थान में संपरिवर्तित करता है जिसका प्रारम्भ में निर्माण उक्त प्रयोजन के लिए न किया गया हो ; या

(ग) किसी ऐसे भवन को दो या अधिक निवास स्थानों में संपरिवर्तित करता है जिसका प्रारम्भ में निर्माण एकल निवास स्थान के रूप में किया गया हो ; या

(घ) दो या अधिक निवास स्थानों को और अधिक ऐसे स्थानों में संपरिवर्तित करता है ; या

(ङ) किसी भवन को जो प्रारम्भ में निवास स्थान के रूप में निर्मित हो, किसी कारखाने, कर्मशाला या गोदाम या अस्तबल, पशुशाला या पशुघर में संपरिवर्तित करता है ; या

(च) कोई ऐसा परिवर्तन करता है जिससे किसी भवन के स्थायित्व या सुरक्षा पर या उसके जल–निकास, सफाई या स्वच्छता के सम्बन्ध में भवन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ; या

(छ) किसी भवन में कोई ऐसा परिवर्तन करता है जिससे उसकी ऊचाई या आच्छादित क्षेत्र या उसकी घन–क्षमता बढ़ या घट जाय या जिससे उसके किसी कमरे की घन–क्षमता कम हो जाय ।

(3) "अपवर्जन क्षेत्र" का तात्पर्य किसी नाभिकीय प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में, ऐसे नाभिकीय प्रतिष्ठापन की सीमा के किसी भाग से 1,6 किलोमीटर के भीतर ऐसे क्षेत्र से है जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) "नाभिकीय प्रतिष्ठापन" का तात्पर्य जिला बुलन्दशहर में नरोरा में परमाणु ऊर्जा केन्द्र से है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य स्थान, जहां पर नरोरा में नाभिकीय ऊर्जा में शोध और विकास से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य परमाणु ऊर्जा केन्द्र भी है।

(5) "नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र" का तात्पर्य किसी नाभिकीय प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में उपवर्जन क्षेत्र और ऐसे नाभिकीय प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में विसंक्रमित क्षेत्र से है।

(6) "नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण से है।

(7) "विसंक्रमित क्षेत्र" का तात्पर्य नाभिकीय प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में ऐसे नाभिकीय प्रतिष्ठापन की सीमा के किसी भाग से 4.8 किलोमीटर के भीतर के ऐसे क्षेत्र से है, जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु इसके अन्तर्गत अपवर्जन क्षेत्र नहीं है ।

नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण का गठन

3–(1) प्रत्येक नाभिकीय प्रतिष्ठापन के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र में भवनों के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के और भूमि के उपयोग के नियंत्रण के लिए एक नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण का गठन करेगी ।

(2) प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :––

(क) उस जिले का कलेक्टर जिसमें नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थित हो। सदस्य–अध्यक्ष

(ख) नाभिकीय प्रतिष्ठापन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी। सदस्य–सचिव

(ग) मुख्य परिक्षेत्रीय अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्। सदस्य

(घ) चार सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, नाम–निर्दिष्ट किए जायेंगे ।

कतिपय अधिनियमों से छूट

4–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त और सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वायत्त शासन से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति के उपबन्ध नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे या उस पर केवल ऐसी सीमा तक और ऐसे उपान्तरों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं लागू होंगे ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों उपान्तरों या निर्बनधनों के अधीन रहते हुए लागू की जाएं तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण या उसके अध्यक्ष या सचिव की विशेषतः इस प्रकार लागू अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया या जिला परिषद् या उसके अध्यक्ष या प्रेसीडेन्ट को या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को समनुदेशित किसी कर्तव्य के पालन या किसी शक्ति के प्रयोग का प्राधिकार ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जैसा–ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, दिया जा सकता है ।

कतिपय प्रयोजनों के सिवाय अपवर्जन क्षेत्र में भूमि आदि के प्रयोग का प्रतिषेध

5–राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति अपवर्जन क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए जिसके अन्तर्गत कृषि प्रयोजन भी है, किसी भुमि का न प्रयोग करेगा, न कराएगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि में या उसके ऊपर या नीचे कोई कृषि, निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के प्रयोग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा ;

परन्तु कोई स्थानीय प्राधिकारी नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना अपवर्जन क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए जिसके अन्तर्गत कृषि प्रयोजन भी है, किसी भूमि का न तो प्रयोग करेगा न कराएगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि में या उसके ऊपर या नीचे कोई कृषि, निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया करेगा और न ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के प्रयोग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा ;

परन्तु यह और कि किसी ऐसे भवन या भूमि का उस प्रयोजन के लिए और उस सीमा तक प्रयोग जिसके लिए और जहां तक उसका प्रयोग उस दिनांक को जब ऐसा क्षेत्र धारा 2 के खण्ड (3) के अधीन अपवर्जन क्षेत्र अधिसूचित किया जाय, किया जा रहा हो, नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर, जो विहित की जाय, जारी रखने की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

बिना अनुज्ञा के भवन आदि के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण का प्रतिषेध

6–राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति विसंक्रमित क्षेत्र के भीतर नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना और ऐसी अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तो के सिवाय ––

(क) किसी भूमि पर भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण नहीं करेगा ; या

(ख) किसी कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा; या

(ग) किसी भूमि पर कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया नही करेगा ।

अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र

7–(1) धारा 6 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा, उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और उसके साथ ऐसा नक्शा होगा और ऐसी फीस होगी जैसी विहित की जाय ।

(2) आवेदक नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी कोई अग्रतर सूचना या नक्शा भी जिसकी वह अपेक्षा करे, ऐसे समय के भीतर जैसा उसके द्वारा नियत किया जाय, देगा ।

अनुज्ञा देना

8–(1) धारा 7 के अधीन कोई आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे अनुज्ञा दे सकता है या अनुज्ञा देने से इंकार कर सकता है :

परन्तु अनुज्ञा देने से इंकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अपना अध्यावेदन करने का अवसर न दे दिया जाय ।

(2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण किसी भवन के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देने में, निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के सम्बन्ध में शर्ते आरोपित कर सकता है, अर्थात् :––

(क) भवन के सामने अबाध पथ या रास्ता छोड़ना ;

(ख) वायु के अबाध परिसंचारण और अग्नि की रोकथाम और सफाई करने की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए भवन के आस–पास खुली जगह छोड़ना ;

(ग) भवन का संवातन, कमरों का न्यूनतम घन क्षेत्र और मंजिलों की संख्या और ऊंचाई जो भवन में होगी ;

(घ) नालियों, शौचालयों मूत्रालयों और नलकूप या कूड़ा–करकट या गलीज के लिए अन्य पात्रों की व्यवस्था और स्थिति ;

(ङ) नींव की सतह और चौड़ाई निम्नतम् फर्श की सतह और संरचना की स्थिरता;

(च) यदि भवन किसी सड़क संसक्त हो तो पड़ोस के भवनों के साथ अग्रभाग की रेखा ;

(छ) आग लगने की स्थिति में भवन से बाहर निकलने के साधन ;

(ज) बाहरी और विभाजक दीवारों, कमरों, फर्शो, भट्ठी और चिमनियों, के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनके निर्माण की रीति ;

(झ) उच्चतम मंजिल जिसमें मानव को निवास करना हो या जिस पर भोजन बनाया जाय, की छत की ऊंचाई और ढ़लान ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसमें भवन के संवातन और स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देने, अनुज्ञा देने से इंकार करने में, नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा ; अर्थात् :––

(क) भवन के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण की सम्भावना, कृषि से भिन्न प्रयोजन जिसके लिए भूमि का प्रयोग किया जाना हो या कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया किए जाने की सम्भावना –

(एक) जिससे नाभिकीय प्रतिष्ठापन के पर्यावरण में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो और उसके परिणामस्वरूप वायुमण्डल में रेडियों धर्मिता का आकस्मिक मोचन हो ; या

(दो) जिसके परिणामस्वरूप नाभिकीय प्रतिष्ठापन के चारों ओर जनसंख्या में पारिणामिक वृद्धि हो ; और

(ख) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जांय ।

(4) किसी भवन के परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण के लिए उपधारा (1) के आधीन दी गई अनुज्ञा में वह प्रयोजन विनिर्दिष्ट होगा जिसके लिए भवन का प्रयोग किया जाना हो ।

अनुज्ञा को रद्द या निलम्बित करने की शक्ति

9–(1) नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण धारा 8 के अधीन की गई अनुज्ञा को किसी भी समय रद्द या निलम्बित कर सकता है, यदि––

(क) ऐसी अनुज्ञा कपट, दुर्व्यपदेशन या सारवान विशिष्टियों को छिपाकर प्राप्त की गई हो ; या

(ख) अनुज्ञा–पत्रधारी ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं निमयों उपबन्धों या ऐसे किन्हीं निबन्धनों या शर्तो का जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी गई थी, उल्लंघन किया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा रद्द या निलम्बित करने के पूर्व नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण अनुज्ञा–पत्र धारी को अपने अभ्यावेदन करने का अवसर देगा ।

अनुज्ञा का व्यपगत होना

10–धारा 8 के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञा उस दिनांक से, जब वह दी जाय, एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और यदि भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या कृषि भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग या अभियंत्रण, खनन या अन्य संकिया जिसके लिए अनुज्ञा दी जाय, उक्त अवधि के भीतर प्रारम्भ न की जाय तो यह उसके पश्चात् तब तक प्रारम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण उक्त प्रयोजन के लिए दिए गए आवेदन–पत्र पर अवधि न बढ़ा दे ।

शास्तियां

11–(1) जो कोई धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई विसंक्रमित क्षेत्र के भीतर,––

(क) बिना अनुज्ञा के; या

(ख) ऐसे किन्हीं निबन्धनों या शर्तो का जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी गई हो ; अनुपालन किए बिना; या

(ग) अनुज्ञा देने से इन्कार कर दिए जाने पर; या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अनुज्ञा की विधिमान्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण आरम्भ करता है, जारी रखता है या पूरा करता है या किसी कृषि भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है या कोई अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

(3) जो कोई विसंक्रमित क्षेत्र के भीतर——

(क) अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए परिनिर्मित या पुनः परिनिर्मित किसी भवन का प्रयोग करता है ;

(ख) किसी कृषि भूमि का प्रयोग, उस प्रयोजन से जिसके लिए भूमि के प्रयोग की अनुज्ञा दी गई थी, कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उस अपराध के प्रथम बार किए जाने के लिए दोष सिद्धि के पश्चात् जारी रहे, एक सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

12–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदाई रहा है और कम्पनी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किए जाने के कारण हुआ है, वहां कम्पनी के ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए——

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) "निदेशक" का तात्पर्य,–

(एक) किसी फर्म के सम्बन्ध में, उस फर्म के भागीदार से है;

(दो) किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य समुदाय के सम्बन्ध में, ऐसे व्यक्ति से है जिसे सोसाइटी या अन्य समुदाय के नियमों के अधीन, यथास्थिति, सोसाइटी या अन्य समुदाय का कार्य प्रबन्ध, सौपा जाय ।

कार्य रोकने की शक्ति

13–(1) नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण किसी समय लिखित नोटिस द्वारा नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामी, पट्टेदार या अध्यासी को––

(क) किसी प्रयोजन के लिए किसी भवन या भूमि के प्रयोग को रोकने; या

(ख) ऐसी भूमि पर किसी भवन के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण को रोकने, या

(ग) किसी भवन या उसके किसी भाग में ऐसे समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, परिवर्तन करने या उसे गिराने; या

(घ) कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किसी कृषि भूमि के प्रयोग को रोकने ; या

(ङ) निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया को रोकने का निदेश दे सकता है यदि ऐसे प्राधिकरण की राय में भवन या भूमि का प्रयोग, भवन या उसके भाग का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण या कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किसी कृषि भूमि का प्रयोग या निर्माण, अभियंत्रण, खनन या अन्य संक्रिया इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों या ऐसे निबन्धनों और शर्तो का जिनके अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा दी जाय, उल्लंघन किया गया है ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न किया जाय तो नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण अपने खर्च पर ऐसे निदेश को कार्यान्वित कर सकता है और उसकी धनराशि को व्यतिक्रमी से वसूल करा सकता है मानो वह भू–राजस्व का कोई बकाया हो ।

अपील

14–(1) कोई व्यक्ति जो ––

(क) इस अधिनियम के अधीन नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण के किसी आदेश या विनिश्चय; या

(ख) धारा 13 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश से व्यक्ति हो, आयुक्त को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अपील कर सकता है ;

परन्तु आयुक्त, स्वविवेक से, ऐसी किसी अपील को दाखिल करने के लिए एक मास से अनधिक का अतिरिक्त समय दे सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी के पास अपील समय से प्रस्तुत न कर सकने का पर्याप्त कारण था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्राप्त होने पर आयुक्त अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निस्तारण यथासम्भव शीघ्र करेगा ।

(3) आयुक्त उस आदेश या विनिश्चय या निदेश के जिसके विरूद्ध अपील की गई हो प्रवर्तन को अपील का निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है ।

पुनरीक्षण

15–(1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से, या इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या दिए गए किसी आदेश या विनिश्चय या जारी किए गए निदेश का शुद्धता, वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और उसका सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे :

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपील की जा सकती है और कोई अपील न की जाय, वहां पुनरीक्षण के रूप में कोई आवेदन–पत्र उस व्यक्ति के अनुरोध पर, जो अपील कर सकता था, ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे आदेश, विनिश्चय या निदेश के प्रवर्तन को उसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किए जाने तक स्थगित कर सकती है ।

(4) इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन–पत्र उस दिनांक से, जब ऐसा आदेश, विनिश्चय या निदेश जिसके सम्बन्ध में आवेदन–पत्र है, आवेदक को संसूचित किया गया था, दो मास के भीतर दिया जायगा :

परन्तु राज्य सरकार, स्वविवेक से, ऐसे किसी आवेदन–पत्र को प्रस्तुत करने के लिए एक मास से अनधिक का अतिरिक्त समय दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाय कि आवेदक पास समय से आवेदन–पत्र प्रस्तुत न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

(5) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को किसी प्राधिकारी या अधिकारी को, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव के पद से निम्न श्रेणी का न हो, प्रत्यायोजित कर सकती है ।

प्रतिकर पर रोक

16–किसी व्यक्ति को ––

(क) नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा देने से इन्कार करने; या

(ख) किसी ऐसी शर्त, जिसके अधीन रहते हुए, कोई ऐसी अनुज्ञा दी जाय; या

(ग) धारा 13 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश; या

(घ) धारा 14 के अधीन आयुक्त द्वारा या धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गये किसी आदेश, या

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन, के परिणामस्वरूप हुई किसी क्षति या हानि के लिए उस व्यक्ति द्वारा प्रतिकर का कोई दावा नहीं किया जायगा ।

सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन प्रश्नों का विनिश्चय करेंगे, अधिनियम सं0 47 सन् 1963

17–किसी सिविल न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने या उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इस अधिनियम में उल्लिखित किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिश्चय या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो ।

इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेशों का अन्तिम होना

18–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवधारित किए जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश या लिया गया विनिश्चय, इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित अपील या पुनरीक्षण के, यदि कोई हो अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

(2) किसी ऐसे आदेश या विनिश्चय पर किसी विधि न्यायालय में कोई आपत्ति नही की जायगी ।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अधिभावी होना

19–(1) इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम, विधि, रूढ़, प्रथा या संविदा में दी गई किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

20–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निमयों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्––

(क) विहित किए जाने के लिए इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमत समस्त विषय ;

(ख) नाभिकीय प्रतिष्ठान स्थानीय प्राधिकरण के कार्य संचालन के लिए नियम ;

(ग) अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्रपत्र और सूचना या नक्शा जिसे या तो ऐसे आवेदन–पत्र के साथ या वाद में प्रस्तुत किया जायगा ;

(घ) ऐसे विषय जिन पर नाभिकीय प्रतिष्ठापन स्थानीय प्राधिकरण की धारा 5 के परन्तुक के अधीन अनुज्ञा देते समय या धारा 8 के अधीन अनुज्ञा देते या देने से इंकार करते समय विचार करना चाहिए ;

(ङ) समय जिसके भीतर और रीति जिसके अनुसार धारा 14 के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है ; और

(च) फीस जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आवेदन–पत्र, प्रस्तुत की गई अपील या की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में ली जा सकती है ।